<u>न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या-1, झुन्झुनू (_राज.)</u>

पीठासीन अधिकारीः- सीमा ढ़ाका, आर.जे.एस.

(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

<u>दीवानी मूल वाद संख्या-31/22 (CIS 05/21)</u>

<u>CNR NO. RJJH010000662021</u>

मंजू देवी गुप्ता पत्नी श्री नवीन कुमार गुप्ता पुत्री स्व. श्री ताराचंद गुप्ता निवासी मान नगर झुन्झुनू हाल निवासी गैलेक्सी अपार्टमेंट ग्राउण्ड फ्लोर जीएल-1 मंगलम सिटी, कालवाड़ रोड़, जयपुर।

-वादिया।

बनाम

1. आशीष गुप्ता पुत्र स्व. पवन कुमार गुप्ता निवासी मान नगर रोड़ नंबर 2 व 3 के मध्य झुन्झुनू।
2. मिताली गुप्ता पत्नी आशीष गुप्ता निवासी मान नगर रोड़ नंबर 2 व 3 के मध्य झुन्झुनू।
3. पूजा गुप्ता पत्नी श्री श्यामसुंदर गुप्ता, निवासी मान नगर रोड़ नंबर 2 व 3 के मध्य झुन्झुनू, हाल निवासी तरूण पथ, राजेन्द्र नगर, वैशाली नगर सिरसी रोड़, जयपुर।
4. सुरेश कुमार गुप्ता पुत्र स्व. श्री तारांचद गुप्ता निवासी मान नगर रोड़ नंबर 2 व 3 के मध्य झुन्झुनू।
5. महेश गुप्ता पुत्र स्व. श्री ताराचंद गुप्ता, निवासी मान नगर रोड़ नंबर 2 व 3 के मध्य झुन्झुनू।
6. अशोक कुमार गुप्ता पुत्र स्व. श्री ताराचंद गुप्ता, निवासी मान नगर रोड़ नंबर 2 व 3 के मध्य झुन्झुनू।
7. उषा गुप्ता पत्नी श्री शिव प्रसाद गुप्ता पुत्री स्व. श्री ताराचंद गुप्ता निवासी मान नगर रोड़ नंबर 2 व 3 के मध्य झुन्झुनू।
8. रजिया बानो पत्नी मोहम्मद रूस्तम, निवासी वार्ड नंबर-22 बाकरा रोड़, झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू।

- प्रतिवादीगण।

<u>दीवानी दावा बाबत शामलाती संपत्ति का विभाजन (बंटवारा), स्थायी निषेधाज्ञा व घोषित कराने शून्य एवं बेअसर विक्रय पत्र दिनांक 29.10.2020 द्वारा आशीष बहक रजिया बानो व शून्य व बेअसर घोषित कराने उपहार पत्र व हकत्याग पत्र दिनांक 02.11.2020 व विकल्प में सिद्धि हकशुफा हेतु</u>

उपस्थितः-

1. श्री मनोज कुमार शर्मा, विद्वान अधिवक्ता वास्ते वादिया।
2. श्री अमित शर्मा, विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रतिवादी संख्या-1 व 2
3. श्री अलीशेर, विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रतिवादी संख्या-4, 5, 6

4. श्री पारस सैनी, विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रतिवादी संख्या- 7
5. श्री मनोज वर्मा, विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रतिवादी संख्या-8
6. प्रतिवादी संख्या-3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय **दिनांक 24.03.2026**

1. वादिया की ओर से प्रतिवादीगण के विरूद्ध वर्तमान वाद जिला न्यायाधीश महोदय, झुन्झुनू के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां से उक्त वाद न्यायालय हाजा में अंतरित किया गया।

2. वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी व प्रतिवादीगण मूलतः कस्बा झुन्झुनू के रहने वाले हैं तथा साधारणतया हिन्दू परिवार की सदस्य होने के कारण तथा अपने माता-पिता की विरासत में छोड़ी गई अविभाजित/शामलाती संपत्ति में वादिया का हित निहित होने के कारण तथा कानूनन आबादी भूमि/संपत्ति में भी वादिया का जायज हक हिस्सा होने के कारण यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ। वाद पत्र की मद संख्या-2 में वर्णित एवं दावा के सलंग्न नजरी नक्शा में मार्क ABCD से दर्शित भूमि जिसका कुल क्षेत्रफल 544.33 वर्गगज है, जिसके आधार तल, प्रथम तल व द्वितीय तल पर मकानात कमरे नजरी नक्शा आदि दिखाये गये हैं। उक्त भूखण्ड वादिया की माता शांति देवी ने दिनांक 18.07.1980 को भंवरलाल पुत्र घीसालाल से जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की थी तथा नजरी नक्शा में मार्क CEFG भूखण्ड क्षेत्रफल 333.33 वर्गगज को वादिया के पिता ने दिनांक 01.06.1982 को मंगेज सिंह से जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया था। इस प्रकार उक्त दोनों भूखण्ड वादिया के माता-पिता की स्वअर्जित संपत्ति रही। वादिया के पिता ताराचंद का दिनांक 03.05.2006 को एवं वादिया की माता शांति देवी का दिनांक 12.01.2009 को देहान्त हो गया। दोनों ने ही अपने जीवनकाल में उक्त संपत्ति की कोई वसीयत नहीं की ओर ना ही संपत्तिको रहन बैय या एलाईनेट किया। विवादित संपत्ति पर वादिया के माता-पिता काबिज रहे। तारांचद गुप्ता व उनकी पत्नी शांति देवी के कुल छः संतान पैदा हुई, जिसमें पवन कुमार गुप्ता, सुरेश कुमार गुप्ता, महेश गुप्ता, अशोक गुप्ता, उषा व मंजू पैदा हुई। जिनमें से पवन कुमार गुप्ता व उसकी पत्नी विमला देवी का देहान्त हो चुका है। पवन कुमार गुप्ता की दो संतान प्रतिवादी संख्या-1 व 3 पैदा हुई। स्व. तारांचद के सभी वारिसान को प्रार्थना पत्र में प्रतिवादी संख्या-1 लगायत 7 के रूप में संयोजित किया गया है। प्रतिवादी संख्या-8 रजिया ने विवादित संपति में स्थित एक दुकान की खरीददार है। विवादित संपत्ति में मौजूदा समस्त मकानात व दुकानात का निर्माण समस्त परिवार के धन से ही किया गया है। विवादित संपत्ति शामलाती है एवं अविभाजित है। जिसका बाई मिट्स एवं बाई बाउण्डस बंटवारा नहीं हुआ जिस पर वादिया व प्रतिवादी संख्या- 1 व 3 लगायत 7 का संयुक्त रूप से मालिकान हक व कब्जा है। बिना विधिवत बंटवारा करवाये किसी को भी उक्त संपत्ति को खुर्द बुर्द करने, बेचान करने,एलाईनेट करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। तारांचद के पुत्र पवन कुमार गुप्ता का दिनांक 13.11.2019 को व उसकी पत्नी विमला देवी का पूर्व में दिनांक 19.03.2008 को देहान्त होने के पश्चात उसके पुत्र आशीष व पुत्री पूजा का सारा

लालन पालन शिक्षा दीक्षा व विवाह इत्यादि वादिया व प्रतिवादी संख्या-4 लगायत 7 ने संयुक्त रूप से वहन किया। प्रतिवादी संख्या-1 लगायत 3 ने अपनी कमाई का कोई खर्चा किसी भी प्रकार उक्त संपत्ति में नहीं किया। अपने पिता के देहान्त के पश्चात आशीष गुप्ता अन्य अनुचित लोगों के प्रभाव में आकर विवादित संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के इरादे से हर समय संपत्ति को डेमेज करने की धमकी देता रहा है, शामलाती संपत्ति होने से उसे इसका कोई अधिकार नहीं है। इसी क्रम में प्रतिवादी संख्या-1 ले अपनी बहन प्रतिवादी संख्या-3 के साथ मिलकर संपत्ति में से एक दुकान अपने पिता के हिस्से की बताकर दिनांक 29.10.2020 को प्रतिवादी संख्या-8 के हक में विक्रय पत्र तस्दीक करवाया दिया, जिसका उसे कोई अधिकार नहीं था। प्रतिवादी संख्या-1 ने विवादित संपत्ति का एक पोर्सन जरिए पंजीकृत उपहार पत्र प्रतिवादी संख्या-2 को दिया, जिसकी कोई कीमत नहीं दर्शाई तथा संपत्ति को अपने स्वर्गीय पिता का 1/6 हिस्सा बताया तथा मिथ्या रूप से अपनी बहन पूजा से हक त्याग करवाना बताया। दिनांक 02.11.2020 को ही प्रतिवादी संख्या-3 पूजा गुप्ता ने प्रतिवादी संख्या-1 के हक में विवादित संपत्ति में अपना हक- हिस्सा निर्धारित करवाए बिना ही हक त्याग कर दिया, जिसका प्रतिवादी संख्या-3 को कोई अधिकार नहीं था। उक्त तीनों ही दस्तावेज, विक्रय पत्र, उपहार पत्र एवं हक त्याग पत्र बिना किसी हक अधिकार के निष्पादित करवाए गए हैं, जिन्हें शून्य घोषित करवाने की वादिया अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या-1 लगायत 3 ने स्वयं समय-समय पर विवादित संपत्ति को अविभाजित एवं शामलाती माना है। वादिया ने दिनांक 05.12.2020 को वादग्रस्त संपत्ति का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा करने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण स्पष्ट रूप से इन्कार हो गए तथ संपत्ति को खुर्द बुर्द करने की धमकी दी, जिसका प्रतिवादीगण को कोई हक अधिकार नहीं है। जिस कारण वादिया को यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ। इसलिए वादिया उक्त विवादित संपत्ति का विभाजन करवाकर संपत्ति में अपना 1/6 हिस्सा का वास्तविक कब्जा प्राप्त करवाने का अधिकारी है। वादग्रस्त दुकान जो हरे रंग से दिखाई गई है वादिया के हक में आ जाती है तो ठीक है अन्यथा वादिया यह निवेदन करती है कि वादिया प्रतिवादी संख्या-1 व 3 द्वारा प्रतिवादी संख्या-8 को नाजायज रूप से बेची गई दुकान की कीमत 5,30,000/- रूपये उस हिस्सेदार को अदा करने को हर समय तैयार है, जिसके हिस्से में दुकान आवे। अन्त में वादिया ने दिनांक 05.12.2020 से वाद अंदर मियाद, निर्धारित न्यायशुल्क पर न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होना बताते हुए वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किए जाने का निवेदन किया।

3. प्रतिवादी संख्या-1, 2 व 8 ने जवाब दावा पेश करते हुए वाद पत्र के अभिवचनों से सारतः इन्कार करते हुए कथन किया कि वादिया का विवादित संपत्ति में कोई हक व हिस्सा नहीं है। प्रतिवादीगण संख्या-1, 2 व 8 ने वाद पत्र की मद संख्या-2 में वर्णित संपत्ति व मकानात को स्वीकार किया और विवादित संपत्ति को शांति देवी व ताराचंद गुप्ता द्वारा क्रय किया जाना स्वीकार किया। विवादित संपत्ति अविभाजित संपत्ति नहीं है। स्व. ताराचंद गुप्ता एवं उनकी पत्नी शांति देवी के देहान्त के पश्चात उसके सभी 06 वारिसान ने स्व. ताराचंद गुप्ता एवं शांति देवी की समस्त चल एवं अचल संपत्ति का बंटवारा कर लिया और एक

पारिवारिक समझौता पत्र भी दिनांक 18.12.2019 को निष्पादित किया गया, जिसमें वादिया की पूर्ण सहमति रही है, इस प्रकार विवादित संपत्ति अविभाजित नहीं रही है। प्रतिवादी संख्या-1 ने अपने हिस्से में आई संपत्ति का विक्रय किया है, जिसका उसे पूर्ण अधिकार रहा है। प्रतिवादी संख्या-1 द्वारा प्रतिवादी संख्या-2 को जो रजिस्टर्ड उपहार पत्र किया गया है वह विधिनुसार किया गया है। उक्त हक त्याग किसी प्रकार से शून्य नहीं है और ना ही वादिया को उक्त हकत्याग व विक्रय पत्र शून्य घोषित करवाने का अधिकार है। वादिया पूर्व में हुए पारिवारिक समझौते के अनुसार अपना हक त्याग चुकी है और इसके पश्चात विवादित संपत्ति पर वादिया का कोई हक अधिकार नहीं रहा है। वादिया को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। वादिया द्वारा वाद मूल्यांकन कम किया गया है और वाद पत्र कम न्यायशुल्क पर प्रस्तुत किया गया है। अतः वाद वादिया खारिज किए जाने का निवेदन किया।

4. प्रतिवादी संख्या-4 लगायत 7 की ओर से इकबालिया जवाब दावा पेश किया वाद वादिया स्वीकार कर डिक्री किए जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या-3 के बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने से आदेश दिनांक 22.02.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

5. उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा निम्न विवाद्यक कायम किए गएः-

1.आया वाद पत्र की मद संख्या–2 में वर्णित संपत्ति वादी व प्रतिवादी संख्या–1 लगायत 7 की अविभाजित संपत्ति है जिसका वादी विधिवत बंटवारा करवाकर विवादित संपत्ति में अपने 1/6 हिस्से का कब्जा प्राप्त करने की अधिकारी है?

– जिम्मे वादी।

2.आया वादी, प्रतिवादी संख्या–1 व 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या–8 के हक में दिनांक 29.10.2020 को निष्पादित विक्रय पत्र, प्रतिवादी संख्या–3 द्वारा प्रतिवादी संख्या–1 के हक में दिनांक 02.11.2020 को निष्पादित हक त्याग पत्र एवं प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा प्रतिवादी संख्या–2 के हक में दिनांक 02.11.2020 को निष्पादित उपहार पत्र को अपने हक अधिकारों के प्रति शून्य बेअसर व प्रभावहीन घोषित करवाने का अधिकारी है ?

– जिम्मे वादी।

3.आया वादी इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि प्रतिवादीगण विवादित संपत्ति का बाई मिट्स एण्ड बाइ बाउण्डस बंटवारा नहीं होने तक वादी को विवादित संपत्ति से जबरन बेदखल नहीं करे और विवादित संपत्ति को किसी प्रकार से एलीनियेट नहीं करे और संपत्ति के किसी भी भाग में तोड़फोड़ ना करे ?

– जिम्मे वादी।

4. आया विवादित संपत्ति अविभाजित संपत्ति नहीं है तथा विवादित संपत्ति का विभाजन दिनांक 18.12.2019 को हो चुका है ?

–जिम्मे प्रतिवादी संख्या–1 व 2।

5. आया वादिया ने वाद मूल्याकंन कम अंकित कर अल्प न्याय शुल्क पर वाद पेश किया है, जिस कारण वादिया का वाद खारिज होने योग्य है ?

– जिम्मे प्रतिवादी संख्या–1 व 2।

6. आया वादिया को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ ?

– जिम्मे प्रतिवादी संख्या–1, 2 व 8।

7. अनुतोष ?

6. अपने अभिवचनों के समर्थन में वादिया की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी.ड.1 मंजू देवी गुप्ता को परीक्षित करवाया तथा प्रलेखीय साक्ष्य में असल विकय पत्र दिनांकित 19.11.2025 प्रदर्श–01, जिसके संलग्न नक्शा की फोटोप्रति प्रदर्श–01 ए, तथा उप पंजीयक से ली हुई प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श–02, मंगेज सिंह द्वारा ताराचन्द गुप्ता के हक में करवाया गया विक्रय पत्र दिनांक 01.06.1982 पंजीबद्ध दिनांक 07.08.1980 प्रदर्श–03, जिसकी सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श–04, मंगेज सिंह द्वारा ताराचंद के हक में निष्पादित विक्रय पत्र प्रदर्श–5, आशीष गुप्ता द्वारा रजिया बानो के हक निष्पादित व तस्दीक विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति मय नक्शा प्रदर्श–06, आशीष गुप्ता द्वारा मिताली गुप्ता के हक में तस्दीक उपहार पत्र की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–07, श्रीमती पूजा गुप्ता ने आशीष गुप्ता के हक निष्पादित हक त्याग पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श–08, नजरी नक्शा प्रदर्श–09 को प्रदर्शित करवाया गया।

7. प्रतिवादीगण की ओर से अपने अभिवचनों के समर्थन में डी.ड.1 आशीष गुप्ता, डी.ड.2 रजिया बानो को प्रदर्शित करवाया गया।

8. न्यायालय द्वारा बहस अंतिम उभय पक्ष सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादिया ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि विवादित संपत्ति वादिया व प्रतिवादीगण के पूर्वज स्व. शांति देवी व स्व. ताराचंद गुप्ता की स्व अर्जित संपत्ति है। विवादित संपत्ति अविभाजित संपत्ति है, जिसका पक्षकारान के मध्य विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। प्रतिवादी संख्या–1 ने विवादित संपत्ति का बंटवारा किए बिना प्रतिवादी संख्या–8 को संपत्ति में से एक दुकान का विक्रय कर दिया एवं प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा विवादित संपत्ति का उपहार पत्र मिताली गुप्ता को कर दिया एवं पूजा गुप्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या–1 के हक में संपत्ति का हक त्याग कर दिया है जबकि संपत्ति का विभाजन करवाए बिना उन्हें उक्त संपत्ति को बेचान करने या हक त्याग करने का अधिकार नहीं है। वादी ने अपनी साक्ष्य से वाद पत्र को पूर्णतया साबित किया है। अतः वाद पत्र स्वीकार कर डिक्री पारित किए जाने का निवेदन किया।

9. इसके विपरीत दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने तर्क प्रस्तुत किया कि विवादित संपत्ति का विभाजन दिनांक 18.12.2019 को हो चुका है। प्रतिवादी संख्या–1 को अपना हक व हिस्सा विक्रय करने का पूर्ण अधिकार था और प्रतिवादी संख्या–1 ने अपने हक अधिकार से अधिक संपत्ति का विक्रय प्रतिवादी संख्या–8 के हक में नहीं किया है। अविभाजित संपत्ति में से भी किसी एक पक्षकार को अपने हक अधिकार की संपत्ति को विक्रय करने का अधिकार होता है। प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा प्रतिवादी संख्या–2 को जो रजिस्टर्ड उपहार पत्र किया गया है वह विधिनुसार किया गया है। उक्त हक त्याग किसी प्रकार से शून्य नहीं है और ना ही वादिया को उक्त हकत्याग व विक्रय पत्र शून्य घोषित करवाने का अधिकार है। वादिया पूर्व में हुए पारिवारिक समझौते के अनुसार अपना हक त्याग चुकी है और इसके पश्चात विवादित संपत्ति पर वादिया का कोई हक अधिकार नहीं रहा है। अन्त में प्रतिवादीगण ने वाद वादिया अस्वीकार कर खारिज किए जाने का निवेदन किया। अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त C.R.P. 159/2018 C.M. Appl. 30877/2018 CM. Appl. 26701/2019 & CM Appl 49865/2019 Raju Sardana Vs Pawan Arya & Ors.प्रस्तुत किया।

10. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। प्रकरण में उभय पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो गवाह पी.ड.1 मंजू देवी ने अपने मुख्य परीक्षा बाबत शपथ पत्र में वाद पत्र के अभिवचनों की पुनरावृत्ति करते हुए कथन किए हैं। प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि वह बारहवी कक्षा पास है। उसके माता–पिता द्वारा खरीदे गये प्लॉट की साईज 877 वर्गगज है। उसकी शादी वर्ष 1996 में हुई थी। उस समय उसके माता–पिता जीवित थे। उसके पिताजी का देहान्त सन 2006 में हुआ था। तथा उसकी माताजी का देहान्त सन 2009 में हुआ था। उसकी शादी के समय दोनों भूखण्डों में मकानात बना लिए थे तथा उसकी शादी इन्ही मकानों में हुई थी। **उसके तीनों भाई व पवनजी के बच्चों ने अपना–अपना हिस्सा नहीं बांट रखा था।** गवाह ने स्वीकार किया कि जिस मकान में आशीष, उसकी पत्नी व बच्चे रहते थे, उसके मकान पर आशीष ने ताला लगा रखा है, जिस पोरसन पर आशीष ने ताला लगा रखा है, उसमें एक कमरा, एक रसोई, लेट बाथ व आगे एक हॉल है, इसके आगे एक हॉल और है जो छाया हुआ है तथा उसके बाहर भी ताला लगा हुआ है। दावा के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा को देखकर गवाह ने कथन किया कि ए बी सी डी वाले भाग पर आशीष ने ताला लगा रखा है। मार्क ए ई एफ सी भाग में उसका भाई अशोक व उसका परिवार रहता है। मार्क जी एच आई बी भाग में सुरेश व महेश अपने परिवार सहित शामिल में रहते हैं। उसके तीन भाई अशोक, सुरेश, महेश तथा पवनजी के वारिस आशीष के बीच कोई पारिवारिक समझौता नहीं हुआ। गवाह ने स्वीकार किया कि पूजा गुप्ता ने अपना हिस्सा अपने भाई आशीष गुप्ता के हक में जरिए रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र अंतरित कर दिया है। जब से आशीष के माता–पिता का देहान्त हो गया था, उसके बाद से वह एक दो बार आशीष से मिली थी। उसे उपहार पत्रों व विक्रय पत्र की जानकारी 2020 में हुई थी, तारीख महिना उसे याद नहीं है। गवाह ने इस सुझाव से इन्कार किया कि आशीष के द्वारा दुकान का बेचान करने से पूर्व उसे फोन पर यह कहा हो कि उसे रूपयों की आवश्यकता है, वह दुकान का बेचान करना चाहता है, आप अगर दुकान खरीदना चाहते हो तो बता दो, नहीं तो वह दूसरे को बेच देगा। गवाह ने इस सुझाव को भी गलत होना बताया कि उसने यह कहा हो कि आप दुकान बेच दो, उसे दुकान की आवश्यकता नहीं है। उसने आशीष को दुकान खरीदने बाबत मौखिक कहा था, कौनसे सन व महिना में कहा था आज उसे ध्यान नहीं है।

11. प्रतिवादी गवाह डी.ड.1 आशीष गुप्ता ने अपने मुख्य परीक्षण शपथ पत्र में जवाब दावा में वर्णित अभिवचनों की ताईद करते हुए कथन किया है। प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि उसने अपने जवाब दावा में एक पारिवारिक समझौता दिनांक 18.12.2019 दर्ज किया है, उसको पढ़ लिया है। असल पारिवारिक समझौता उसके पास है। पारिवारिक समझौता पत्र में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि उपरोक्त पारिवारिक समझौते से जो मकान व एक दुकान संपत्ति आशीष गुप्ता के हिस्सा में दी गई है तो उसको आशीष गुप्ता व उसके वारिसान इस संपत्ति दुकान व मकान को बेचना चाहेंगे तो केवल ताराचंद गुप्ता के वारिसान को विक्रय कर सकेगें, लिखा गया था और उसने पूर्ण सहमति से पारिवारिक समझौता पर साईन किए थे। गवाह ने स्वीकार किया कि विवादित संपत्ति का एक भाग जरिए प्रदर्श–1 विक्रय पत्र भंवरलाल से उसकी दादी शांति देवी ने खरीदा था और वादग्रस्त संपत्ति में एक भाग मंगेज सिंह ने नगरपालिका के भूमि विक्रय पत्र प्रदर्श पी–5 के जरिए क्रय किया था। गवाह ने स्वीकार किया कि मंगेज सिंह से वह भाग उसके दादा ताराचंद गुप्ता ने जरिए प्रदर्श–3 क्रय किया था। पारिवारिक समझौता दिनांकित 18.12.2019 में सुरेश, महेश, अशोक कुमार, उषा गुप्ता, मंजू गुप्ता के हक में कौनसी–कौनसी संपत्ति आई, उसका उल्लेख नहीं है। गवाह ने इस सुझाव से

इन्कार किया है कि उसने जानबूझकर परिवारवालों बदनियतीपूर्वक बेईमानी से पूरे परिवार को हैरान परेशान करने के लिए तथा परिवार वालोंकी बिना सहमति के वादग्रस्त संपत्ति में से एक दुकान रजिया बानो को पूरी संपत्ति के बीच में विक्रय कर दी हो। सम्पूर्ण संपत्ति में उसके पिता पवन कुमार गुप्ता का 1/6 हक व हिस्सा बनता है। गवाह ने स्वीकार किया कि प्रदर्श–8 हक त्याग पत्र में हक त्याग की गई संपत्ति का कोई नाप जोख व चतुर्थ सीमा अंकित नहीं है।

12. गवाह डी.ड.2 रजिया ने अपने मुख्य परीक्षा शपथ पत्र में गवाह ने जवाब दावा के अभिवचनों की ताईद करते हुए कथन किए हैं। प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि उसने शपथ पत्र किसी से तस्दीक नहीं करवाया। उसने शपथ पत्र जो पढ़े लिखे हैं, उनसे ही पढ़वाया है और उन्होनें पढ़कर सुना दिया। हिन्दू परिवार के बारे में वह नहीं समझती हे। यह सही है कि विक्रय पत्र प्रदर्श–6 में पारिवारिक समझौता दिनांक 18.12.2019 का उल्लेख नहीं है। उसे पता था इनके पूरे परिवार का बंटवारा हो चुका है। बंटवारे का कागज उसने आशीष के पास देखा था। बंटवारा के कागज के जरिए सुरेश,महेश व अशोक की संपत्ति का भी बंटवारा हुआ था लेकिन उनके हिस्से में कौनसी–कौनसी संपत्ति आई, वह नहीं बता सकती। उसने दुकान पांच लाख तीस हजार रूपये में खरीदी थी। उसे मंजूर नहीं है कि 5 लाख 30 हजार रूपये उसे मय ब्याज मिल जाए तो वह दुकान दूसरी जगह लेने के लिए तैयार होउं। जहां वादग्रस्त संपत्ति है, वहां सबकी जमीन करोड़ों में है।

13. पत्रावली पर आई उपरोक्त साक्ष्य का प्रकरण के विरचित विवाद्यकों के संबंध में न्यायालय का विवाद्यकवार विनिश्चय निम्नानुसार हैः–

विवाद्यक संख्या–1 व 4

14. उक्त विवाद्यक निम्नानुसार कायम किए गए हैंः–

"आया वाद पत्र की मद संख्या–2 में वर्णित संपत्ति वादी व प्रतिवादी संख्या–1 लगायत 7 की अविभाजित संपत्ति है जिसका वादी विधिवत बंटवारा करवाकर विवादित संपत्ति में अपने 1/6 हिस्से का कब्जा प्राप्त करने की अधिकारी है?''

"आया विवादित संपत्ति अविभाजित संपत्ति नहीं है तथा विवादित संपत्ति का विभाजन दिनांक 18.12.2019 को हो चुका है ''

15. विवाद्यक संख्या–1 को अपने पक्ष में साबित करने का भार वादिया पर एवं विवाद्यक संख्या–4 विवाद्यक संख्या–1 का खण्डनात्मक विवाद्यक है, जिसे साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या–1 व 2 पर है। हस्तगत वाद वादिया की ओर से विवादित संपत्ति के विभाजन बाबत पेश किया है। जिसके संबंध में यदि विधिक स्थिति से मार्गदर्शन प्राप्त करें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टान्त शशिधर व अन्य बनाम अश्विनी सिविल अपील नंबर 324/25 निर्णय दिनांक 13.01.2015 के पैरा संख्या–24 में यह अभिनिर्धारित किया है '' We may consider it apposite to state being a well settled principle of law that in a suit filed by a co–sharerer, coparcener, co–owner or joint owner, as the case may be, for partition and separate possession of his/her share qua others, it is necessary for the Court to examine, in the first instance, the nature and character of the properties in suit such as who was the original owner of the suit properties, how and by which source he/she acquired such properties, whether it was his/her self–acquired property or ancestral

property, or joint property or coparcenery property in his/her hand and, if so, who are/were the coparceners or joint owners with him/her as the case may be. Secondly, how the devolution of his/her interest in the property took place consequent upon his/her death on surviving members of the family and in what proportion, whether he/she died intestate or left behind any testamentary succession in favour of any family member or outsider to inherit his/her share in properties and if so, its effect. Thirdly whether the properties in suit are capable of being partitioned effectively and if so, in what manner? Lastly, whether all properties are included in the suit and all co–sharerers, coparceners, co– owners or joint–owners, as the case may be, are made parties to the suit? These issues, being material for proper disposal of the partition suit, have to be answered by the Court on the basis of family tree, inter se relations of family members, evidence adduced and the principles of law applicable to the case.

16. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त में यह अभिनिर्धारित किया है कि विभाजन के दावे में सर्वप्रथम न्यायालय को यह तय करना होता है कि वादग्रस्त संपत्ति की प्रकृति क्या है, संपत्ति का मूल स्वामी कौन था एवं मूल स्वामी के द्वारा संपत्ति को किस प्रकार से अर्जित किया गया एवं सम्पत्ति उसकी स्व–अर्जित है या पैतृक संपत्ति है। इस संबंध में वादिया ने अपने वाद पत्र में मुख्य रूप से यह अभिवचन किय है कि वाद पत्र की मद संख्या–2 में वर्णित एवं दावा के सलंग्न नजरी नक्शा में मार्क ABCD से दर्शित भूमि जिसका कुल क्षेत्रफल 544.33 वर्गगज है, वादिया की माता शांति देवी ने दिनांक 18.07.1980 को भंवरलाल पुत्र घीसालाल से जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया तथा नजरी नक्शा में मार्क CEFG भूखण्ड क्षेत्रफल 333.33 वर्गगज को वादिया के पिता ने दिनांक 01.06.1982 को मंगेज सिंह से जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया था। इस प्रकार उक्त दोनों भूखण्ड वादिया के माता–पिता की स्वअर्जित संपत्ति रही। वादिया के पिता ताराचंद का दिनांक 03.05.2006 को एवं वादिया की माता शांति देवी का दिनांक 12.01.2009 को देहान्त हो गया। दोनों ने ही अपने जीवनकाल में उक्त संपत्ति की कोई वसीयत नहीं की ओर ना ही संपत्तिको रहन बैय या एलाईनेट किया। विवादित संपत्ति पर वादिया के माता–पिता काबिज रहे। तारांचद गुप्ता व उनकी पत्नी शांति देवी के कुल छः संतान पैदा हुई, जिसमें पवन कुमार गुप्ता, सुरेश कुमार गुप्ता, महेश गुप्ता, अशोक गुप्ता, उषा व मंजू पैदा हुई। जिनमें से पवन कुमार गुप्ता व उसकी पत्नी विमला देवी का देहान्त हो चुका है। इस प्रकार वादिया ने विवादित संपत्ति को दो भागों में किया जाना, जिनमें से नजरी नक्शा में मार्क ABCD से दर्शित भूखण्ड जिसका कुल क्षेत्रफल 544.33 वर्गगज है, वादिया की माता शांति देवी द्वारा दिनांक 18.07.1980 को भंवरलाल पुत्र घीसालाल से जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र तथा मार्क CEFG भूखण्ड कुल क्षेत्रफल 333.33 वर्गगज को वादिया के पिता ने दिनांक 01.06.1982 को मंगेज सिंह से जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया जाना बताया है। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावा में उक्त भूखण्ड शांति देवी व तारांचंद द्वारा क्रय किए जाने से इन्कार नहीं किया है।

17. उक्त अभिवचनों के समर्थन में वादिया की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो वादिया ने उक्त भूखण्ड क्रय किए जाने के संबंध में विक्रय पत्र प्रदर्श–1 व प्रदर्श–3 के रूप में प्रदर्शित करवाए गए है। विक्रय प्रदर्श–1 के

अवलोकन से शांति देवी पत्नी ताराचंद द्वारा कुल 544.33 वर्गगज का भूखण्ड दिनांक 18.07.1980 को भंवरलाल से क्रय किया जाना प्रकट हो रहा है। इसी प्रकार प्रदर्श–3 के अवलोकन से ताराचंद गुप्ता द्वारा दिनांक 01.06.1982 को 333.33 वर्गगज क्षेत्रफल का भूखण्ड मंगेज सिंह से क्रय किया जाना और उक्त भूखण्डों पर क्रय के रोज से ही कब्जा क्रेतागण का होना प्रकट हुआ है। इस प्रकार वादिया के अभिवचनों की ताईद दस्तावेजी साक्ष्य विक्रय पत्र प्रदर्श–1 व 3 से हो रही है।

18. वादिया ने अपने माता–पिता के कुल छः संतानें जिसमें पवन कुमार गुप्ता, सुरेश कुमार गुप्ता, महेश गुप्ता, अशोक गुप्ता, उषा व मंजू पैदा होना बताते हुए अपने माता–पिता द्वारा अपने जीवनकाल में भूखण्डों का विभाजन नहीं करने का अभिवचन किया है। प्रतिवादी संख्या–1 व 2 ने अपने दादा–दादी ताराचंद व शांति के छः संतानें होने को स्वीकार किया है। प्रतिवादी संख्या–1 व 2 ने विवादित सम्पूर्ण संपत्ति का विभाजन दिनांक 18.12.2019 को होना बताया है। वादिया ने स्पष्ट रूप से विवादित संपत्ति शामलाती होना बताया है और प्रतिवादी संख्या–1 व 2 ने विवादित संपत्ति का बंटवारा होना बताया है। किन्तु प्रतिवादी संख्या–1 व 2 की ओर से अपने अभिवचनों के समर्थन में एवं विवादित संपत्ति के विभाजन के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की है। इस संबंध में पक्षकारान की मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो वादिया गवाह पी.ड.1 मंजू देवी ने अपनी जिरह में स्पष्ट कथन किया है कि उसके तीन भाई अशोक, सुरेश व महेश व पवनजी के वारिस आशीष के बीच में कोई पारिवारिक समझौता नहीं हुआ है। इस प्रकार वादिया गवाह ने जिरह में स्पष्ट रूप से विवादित संपत्ति अविभाजित होने का ही कथन किया है और वादिया द्वारा जिरह में किए गए कथनों से विवादित संपत्ति के अविभाजित होने की ताईद होती है। इसके विपरीत प्रतिवादी की ओर से अपने अभिवचनों के समर्थन में सुपंष्टिकारक दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है।

19. इस प्रकार साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन से वादिया यह तथ्य भली भांति साबित करने में सफल रही है कि वाद वर्णित संपत्ति, जिसका कुल क्षेत्रफल 877.66 वर्गगज है, पक्षकारान की पैतृक व शामलाती है। उक्त संपत्ति स्व. शांति देवी व स्व. ताराचंद द्वारा क्रय की गई है, जिसके वारिसान वादिया, उषा गुप्ता, सुरेश, महेश, अशोक व प्रतिवादी संख्या–1 व 3 के पिता स्व. पवन कुमार हैं। और विवादित संपत्ति वादिया मंजू देवी, उषा गुप्ता, सुरेश, महेश, अशोक व स्व. पवन कुमार (प्रतिवादी संख्या–1 व 3 का संयुक्त रूप से) का 1/6 हिस्से का हक हिस्सा है। इसके विपरीत प्रतिवादी संख्या–1 व 2 विवादित संपत्ति को विभाजन दिनांक 18.12.2019 को होने के तथ्य को साबित करने में असफल रहे हैं। ऐसी स्थिति में विवाद्यक संख्या–1 वादिया के पक्ष में व विवाद्यक संख्या–4 प्रतिवादी संख्या–1 व 2 के विरूद्ध तय किया जाता है।

विवाद्यक संख्या–2

20. उक्त विवाद्यक निम्नानुसार कायम किया गया हैः–

"आया वादी, प्रतिवादी संख्या–1 व 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या–8 के हक में दिनांक 29.10.2020 को निष्पादित विक्रय पत्र, प्रतिवादी संख्या–3 द्वारा प्रतिवादी संख्या–1 के हक में दिनांक 02.11.2020 को निष्पादित हक त्याग पत्र एवं प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा प्रतिवादी संख्या–2 के हक में दिनांक 02.11.2020 को निष्पादित उपहार पत्र को अपने हक अधिकारों के प्रति शून्य बेअसर व प्रभावहीन घोषित करवाने का अधिकारी है ?''

21. उक्त विवाद्यक को अपने पक्ष में साबित करने का भार वादिया पर है। वादिया ने अपने वाद पत्र में मुख्यतः यह अभिवचन किया है कि विवादित संपत्ति का विभाजन करवाए बिना प्रतिवादी संख्या–1 व 3 द्वारा प्रतिवादी संख्या–8 विवादित संपत्ति में से एक दुकान जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांकित 29.10.2020 को विक्रय कर कब्जा करवा दिया, जिसका प्रतिवादी संख्या–1 व 3 को कोई अधिकार नहीं था। इसके अलावा प्रतिवादी संख्या–3 द्वारा विवादित संपत्ति में दिनांक 02.11.2020 को एक हक त्याग पत्र एवं प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा प्रतिवादी संख्या–2 के हक में संपत्ति के संबंध में उपहार पत्र दिनांक 02.11.2020 को तस्दीक करवा दिए, जिनका भी उन्हें कोई अधिकार नहीं था। इस संबंध में न्यायालय का विनम्र मत है कि विवाद्यक संख्या–1 के विवेचन के दौरान न्यायालय के समक्ष यह तथ्य भलीभांति साबित हो चुका है कि विवादित संपत्ति पक्षकारान की पैतृक, शामलाती एवं अविभाजित संपत्ति है, जिसमें प्रतिवादी संख्या–1 व 3 का संयुक्त नोशनल शेयर 1/6 है। प्रतिवादी संख्या–3 ने उक्त नोशनल शेयर में अपना हिस्सा दिनांक 02.11.2020 को अपने भाई आशीष गुप्ता को जरिए पंजीकृत हक त्याग पत्र दे दिया है। इस संबंध में न्यायालय का मत है कि विवादित संपत्ति में प्रतिवादी संख्या–3 का अपने हक हिस्से तक की भूमि का हक त्याग अपने भाई के पक्ष में किया है,जिसका उसे पूरा अधिकार है। अब न्यायालय को यह देखना है कि क्या विवादित संपत्ति में प्रतिवादी संख्या–1 व 3 को अपने हक अधिकार की संपत्ति को विक्रय करने का अधिकार था अथवा नहीं। विवादित संपत्ति में इस संबंध में सर्वप्रथम पत्रावली पर आई साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो प्रतिवादी संख्या–1 व 3 ने दिनांक 29.10.2020 को विवादित संपत्ति में से एक दुकान 15.37 वर्गगज क्षेत्रफल का विक्रय प्रतिवादी संख्या–8 के हक में कर दिया है। चूंकि विवादित संपत्ति में प्रतिवादी संख्या–1 व 3 का विवादित संपत्ति में संयुक्त रूप से 1/6 हक हिस्सा होता है और उक्त हिस्से में से प्रतिवादी संख्या–1 व 3 ने संयुक्त रूप से एक दुकान क्षेत्रफल 15.37 वर्गगज का बेचान प्रतिवादी संख्या–8 को किया है। इस संबंध में विधिक स्थिति से मार्गदर्शन प्राप्त करें तो धारा 44 संपति अंतरण अधिनियम 1882 में यह प्रावधानित किया गया है ''जहां कि स्थावर संपत्ति के दो या अधिक सहस्वामियों में से एक जो ऐसा करेन के लिए वैध रूप से सक्षम है, ऐसी संपत्ति में का अपना अंश या कोई हित अन्तरित करता है, वहां अंतरिती ऐसे अंश या हित के बारे में और वहां तक, जहां तक उस अंतरण को प्रभावशील करने के लिए आवश्यक हो संपत्ति पर संयुक्त कब्जा करने का, या संपत्ति का अन्य सामान्य या भागिक उपभोग करने का और उस संपत्ति का विभाजन कराने का अंतरक का अधिकार अर्जित करता है जो ऐसे अंतरित अंश या हित पर अंतरण की तारीख को प्रभाव डालने वाली शर्तों और दायित्वों के अध्ययधीन है। इस प्रकार उक्त विधिक प्रावधानानुसार अविभाजित संपत्ति में एक स्वामी अपने हक हिस्से की संपत्ति में अपने हक हिस्से का अंतरण करने हेतु सक्षम है। विचाराधीन वाद में प्रतिवादी संख्या–1 व 3 द्वारा विवादित संपत्ति में अपने हक हिस्से में से 15.37 वर्गगज क्षेत्रफल की दुकान का विक्रय प्रतिवादी संख्या–8 को किया है और प्रतिवादी संख्या–1 व 3 को दुकान विक्रय करने का अधिकार था। प्रतिवादी संख्या–08 ने सद्भावनापूर्वक विवादित दुकान का प्रतिफल अदा कर दुकान का कब्जा प्राप्त किया है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या–8 के हक में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांकित 29.10.2020 को वादिया अपने हक अधिकारों प्रति शून्य घोषित करवाने की अधिकारी नहीं है।

22. उक्त विक्रय पत्र तस्दीक करवाए जाने के पश्चात प्रतिवादी संख्या–3 ने विवादित संपत्ति में अपना सम्पूर्ण हिस्से का त्याग प्रतिवादी संख्या–1 के हक में जरिए हक त्याग पत्र दिनांकित 02.11.2020 के कर दिया है। जिसकी प्रति वादी की ओर से प्रदर्श–8 के रूप में प्रदर्शित करवायी गई है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा

विवादित संपत्ति में अपने सम्पूर्ण हिस्से को अपनी पत्नी मिताली गुप्ता को प्रतिवादी संख्या–2 को जरिए उपहार पत्र दिनांकित 02.11.2020 से उपहार कर दिया है, जिसकी प्रति वादिया की ओर से प्रदर्श–7 के रूप में प्रदर्शित करवायी गई है। वादिया ने उक्त हक त्याग पत्र एवं उपहार पत्र को अपने हक अधिकारों के प्रति शून्य घोषित करवाने का अनुतोष चाहा है। इस संबंध में प्रदर्श–8 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रतिवादी संख्या–3 द्वारा विवादित संपत्ति में अपने पिता का 1/6 हिस्सा होना और उक्त 1/6 हिस्से में स्वयं का ½ हिस्सा होना बताते हुए अपने हिस्से का हक त्याग प्रतिवादी संख्या–1 के हक में प्रदर्श–8 के जरिए किया गया है। इस संबंध में न्यायालय का मत है कि प्रतिवादी संख्या–3 द्वारा प्रतिवादी संख्या–1 के साथ मिलकर विवादित संपत्ति में से 15.37 वर्गगज क्षेत्रफल की दुकान का विक्रय पूर्व में ही प्रतिवादी संख्या–8 को दिनांक 29.10.2020 को किया जा चुका है। उक्त विक्रय पत्र के पूर्व में ही अस्तित्व में आने के कारण विवादित संपत्ति में प्रतिवादी संख्या–3 ने अपने पिता के माध्यम से प्राप्त होने वाला अपना पूरा हिस्सा प्रतिवादी संख्या–1 के पक्ष में हक त्याग किया है जो सद्भावनापूर्वक किया जाना न्यायालय नहीं पाता है। इसी के क्रम में प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा भी विवादित संपत्ति में अपने हिस्से में से दुकान का विक्रय प्रतिवादी संख्या–8 को किए जाने के उपरान्त विवादित संपत्ति में अपने पिता एवं बहन से प्राप्त अपना सम्पूर्ण हिस्सा प्रतिवादी संख्या–2 को उपहार किया जाना भी न्यायालय सद्भावनापूर्वक नहीं पाता है क्योंकि प्रतिवादी संख्या–1 व 3 द्वारा विवादित संपत्ति में से 15.37 वर्गगज क्षेत्रफल की दुकान का विक्रय प्रतिवादी संख्या–8 का पहले ही कर दिया गया था और इसके बावजूद भी प्रतिवादी संख्या–3 द्वारा उक्त विक्रय पत्र का खुलासा नहीं करते हुए विवादित संपत्ति में अपने हिस्से का हक त्याग प्रतिवादी संख्या–1 को किया गया और प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा भी विक्रय पत्र का खुलासा नहीं करते हुए अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या–2 को उपहार में दिया गया। ऐसी स्थिति में उक्त हक त्याग पत्र दिनांकित 02.11.2020 एवं उपहार पत्र दिनांकित 02.11.2020 को अपने अधिकारों के प्रति शून्य घोषित करवाने की वादिया अधिकारी पाई जाती है और उक्तानुसार उक्त विवाद्यक संख्या–3 आंशिक रूप से वादिया के पक्ष में तय किया जाता है।

विवाद्यक संख्या–3

23. उक्त विवाद्यक निम्नानुसार कायम किया गया हैः–

"आया वादी इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि प्रतिवादीगण विविादत संपत्ति का बाई मिट्स एण्ड बाइ बाउण्डस बंटवारा नहीं होने तक वादी को विवादित संपत्ति से जबरन बेदखल नहीं करे और विवादित संपत्ति को किसी प्रकार से एलीनियेट नहीं करे और संपत्ति के किसी भी भाग में तोड़फोड़ ना करे? ''

24. उक्त विवाद्यक को अपने पक्ष में साबित करने का भार वादिया पर है। विवाद्यक संख्या–1 के निष्कर्ष के दौरान विवादित संपत्ति पक्षकारान की संयुक्त अविभाजित संपत्ति होने का तथ्य प्रमाणित करने में वादिया सफल रही है। विवादित ऐसी स्थिति में विवादित संपत्ति का विभाजन होने तक संपत्ति की मौके व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाए रखने के संबंध में वादिया स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी पायी जाती है और उक्तानुसार विवाद्यक वादिया के पक्ष में तय किया जाता है।

विवाद्यक संख्या–5

25. उक्त विवाद्यक निम्नानुसार कायम किया गया हैः–

"आया वादिया ने वाद मूल्याकंन कम अंकित कर अल्प न्याय शुल्क पर वाद पेश किया है, जिस कारण वादिया का वाद खारिज होने योग्य है ?''

26. उक्त विवाद्यक को अपने पक्ष में साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। प्रतिवादी ने अपने जवाब दावा में वादिया द्वारा वाद मूल्यांकन कम अंकित कर अल्प न्यायशुल्क पर दावा पेश किए जाने का अभिवचन किया है, किन्तु प्रतिवादी ने न्यायालय के समक्ष इस संबंध में कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है कि विवादित संपत्ति की मालियत कितनी है, और वाद किस प्रकार से अल्प न्यायशुल्क पर प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त विवाद्यक संख्या–5 प्रतिवादी संख्या–1 व 2 अपने पक्ष में साबित करने में विफल रहे है और उक्त विवाद्यक प्रतिवादी संख्या–1 व 2 के विरूद्ध तय किया जाता है।

विवाद्यक संख्या–6

27. उक्त विवाद्यक निम्नानुसार कायम किया गया हैः–

"आया वादिया को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ ?''

28. उक्त विवाद्यक को अपने पक्ष में साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या–1, 2 व 8 पर है। प्रतिवादी ने अपने जवाब दावा में वादिया को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होने का अभिवचन किया है, किन्तु प्रतिवादी ने न्यायालय के समक्ष इस संबंध में कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है कि वादिया को किस प्रकार से वादण् कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। इसके विपरीत वादिया ने अपने वाद पत्र में स्पष्ट रूप से अभिवचन किया है कि उसके द्वारा प्रतिवादीगण को विवादित संपत्ति के विभाजन के लिए कहा गया, जिस पर उनके द्वारा इन्कार किया गया, जिस कारण वादिया की ओर से यह दावा पेश किया गया। ऐसी स्थिति में उक्त विवाद्यक संख्या–6 प्रतिवादी संख्या–1,2 व 8 अपने पक्ष में साबित करने में विफल रहे है और उक्त विवाद्यक प्रतिवादी संख्या–1,2 व 8 के विरूद्ध तय किया जाता है।

विवाद्यक संख्या–7

29. उक्त विवाद्यक अनुतोष से संबंधित है। प्रकरण का महत्वपूर्ण विवाद्यक संख्या–1 व 3 पूर्ण रूप से वादिया अपने पक्ष में एवं विवाद्यक संख्या–2 आंशिक रूप से वादिया अपने पक्ष में साबित करने में सफल रही है। ऐसी स्थिति में वादिया विवादित संपत्ति में अपना हक हिस्सा घोषित करवाने एवं प्रतिवादी संख्या–3 द्वारा प्रतिवादी संख्या–1 के पक्ष में निष्पादित हक त्याग पत्र एवं प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा प्रतिवादी संख्या–2 के पक्ष में निष्पादित उपहार पत्र को शून्य घोषित करवाने की अधिकारी है।

आदेश

30. परिणमतः वादिया मंजू देवी की ओर से प्रस्तुत हस्तगत वाद बाबत शामलाती संपत्ति का विभाजन (बंटवारा), स्थायी निषेधाज्ञा व घोषित कराने शून्य एवं बेअसर विक्रय पत्र दिनांक 29.10.2020 द्वारा आशीष बहक रजिया बानो व शून्य व बेअसर घोषित कराने उपहार पत्र व हकत्याग पत्र दिनांक 02.11.2020 व विकल्प में सिद्धि हकशुफा हेतु आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है एवं निम्न प्रारम्भिक डिक्री पारित की जाती हैः–

(क). वाद में वर्णित विवादित संपत्ति जिसका वर्णन वाद पत्र के पैरा संख्या–2 में किया गया है में वादिया, प्रतिवादी संख्या–4 लगायत 7 प्रत्येक का 1/6 एवं प्रतिवादी संख्या–1 व 3 का संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा (प्रतिवादी संख्या–1 व 3 द्वारा प्रतिवादी संख्या–8 के हक में दिनांक 29.10.2020 को विक्रय की गई दुकान उनके संयुक्त 1/6 हिस्से में शामिल है), उक्तानुसार किया जाकर प्रारंभिक डिक्री पारित की जाती है।

(ख.) वादिया व प्रतिवादी संख्या–1 लगायत 7 को आदेशित किया जाता है कि विभाजन होने एवं पृथक–पृथक कब्जा प्राप्त होने तक वे विवादित संपत्ति का विक्रय या अन्य हस्तान्तरण नहीं करें।

(ग.) प्रतिवादी संख्या–3 द्वारा विवादित संपत्ति के संबंध में प्रतिवादी संख्या–1 के हक में दिनांक 02.11.2020 निष्पादित हक त्याग पत्र एवं प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा प्रतिवादी संख्या–2 के हक में निष्पादित उपहार पत्र वादिया एवं प्रतिवादी संख्या–4 लगायत 7 के अधिकारों के विपरीत शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित किया जाता है।

(घ.) वादिया उपर्युक्त वर्णित वादग्रस्त संपत्ति का बंटवारा करवाकर उसमें से अपने हिस्से का वास्तविक कब्जा, नाप व सीमांकन करवाकर प्राप्त करने की अधिकारी है।

(ड.) बंटवारा की योजना प्रस्तावित करने हेतु वादिया अलग से कमिश्नर मुकर्रर करवाने की विधि अनुसार कार्यवाही करें। वाद के खर्चे का निर्णय अंतिम डिक्री के समय किया जवोगा। उक्तानुसार प्रारम्भिक डिक्री पर्चा मुर्तिब हो।

(सीमा ढ़ाका)
अपर जिला न्यायाधीश
संख्या–1, झुन्झुनू

31. आदेश आज दिनांक 24.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

SUSHIL KUMAR
Digitally signed by SUSHIL KUMAR
Date: 2026.03.28 17:16:58 +0530

(सीमा ढ़ाका)
अपर जिला न्यायाधीश
संख्या–1, झुन्झुनू